न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
336/2016/वाद पत्र	04.03.2016	16.05.2017

उनवान

1–2 बाबू, मूला पिता अम्बा भील निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा

– वादीगण

बनाम

1– भेरू पिता अम्बा भील निवासी हुरड़ा तहसील हुरड़ा
2– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तत्कालीन तहसील शाहपुरा मे संवत 2040–43 की जमाबन्दी मे छोटू पिता अम्बा भील के खातेदारी मे आ0न0 428/395/1 रकबा 15 बीघा दर्ज है। छोटू की मृत्यु हो जाने पर इन्तकाल नं0 42 तारीख 28.05.1994 को छोटू के बजाय मु0 धापु बेवा अम्बा भील के पक्ष मे तय किया गया। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूण हो चुका है। सेटलमेन्ट के दरमियान आ0न0 428/395/1 के नये नम्बर 535 रकबा 1.79 है0 व आ0न0 534 रकबा 2.00 है0 कुल किता 2 रकबा 3.79 है0 बनाये है। सेटलमेन्ट वालों ने खसरा पत्रक मे छोटू पिता अम्बा भील के बजाय धापू बेवा छोटू भील गलत दर्ज कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 42 मे छोटू के बजाय धापू बेवा अम्बालाल निर्णित किया गया था। खसरा पत्रक मे गलत नाम दर्ज कर दिये जाने के कारण बाद वाले राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज हो चुका है। धापु बेवा अम्बालाल की मृत्यु 29.03.2003 को हो चुकी है। धापु के 3 पुत्र वादी नं0 1 बाबू, वादी नं0 2 मूला व प्रतिवादी नं0 1 भैरू है। राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मे पिता का नाम अम्बालाल लिखा हुआ है। प्रतिवादी नं0 1 चलने फिरने मे असमर्थ होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मे धापू/अम्बा भील के वारिसान भैरू, बाबू, मूला पुत्र दर्ज है। सेटलमेन्ट वालों ने धापु के पति का नाम अम्बालाल की जगह छोटू दर्ज कर दिया गया जबकि धापु पत्नि अम्बालाल दर्ज होना चाहिये था। अतः वादीगणों के पक्ष मे प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वाद पत्र के पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात विरासत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.12.2015 को प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सम्मन

प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर सुनवाई हेतु रखा जाने से पेश हुआ। अभिभाषक वादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 6 रूल 17 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पेरा नं0 1 की प्रथम लाईन मे ग्राम अरनिया चौहान के बजाय अरनिया रांसा टंकण भूल से हो गया है। उक्त शुद्वि करने से वाद पत्र पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र के पेरा नं0 1 की प्रथम लाईन मे ग्राम अरनिया रांसा के स्थान पर अरनिया चौहान लाल स्याही से अंकन किया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमे बताया कि इन्तकाल नं0 353 दिनांक 22.06.2016 से शुद्वि से धापू बेवा छोटू भील के बजाय धापू बेवा अम्बा भील के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जा चुका है। धापू बेवा अम्बा भील की मृत्यु दिनांक 29.03.2003 को हो जाने से उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेज के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पेरोकार सरकार इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र मे अभिभाषक वादीगण द्वारा धापु पत्नि छोटू के स्थान पर धापू पत्नि अम्बालाल दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 को धापू की विरासत से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा ग्राम अरनिया चौहान जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता नं0 61 कुल किता 2 रकबा 3.79 है0 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार इन्तकाल नं0 353 दिनांक 22.06.2016 से शुद्वि से धापू बेवा छोटू भील के बजाय धापू बेवा अम्बा भील का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हो चुकी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूॅ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 विरूद्व प्रतिवादी नं0 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 61 आ0न0 533 रकबा 1.79 है0, आ0न0 534 रकबा 2.00 है0 कुल किता 2 रकबा 3.79 है0 मे दर्ज धापू बेवा अम्बा भील के बजाय धापू की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को केम्प ईटड़िया पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)